चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने के लिए दिशानिर्देश (अनलॉक 4)

(दिनांक 29 अगस्त 2020 को गृह मंत्रालय (एमएचए) की आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-I (ए) के अनुसार)

1. अनलॉक-4 के दौरान कंटेनमेंट जोनों के बाहर गतिविधियों की अनुमति

कंटेनमेंट जोनों से बाहर के इलाकों में निम्नलिखित को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों की अनुमति होगी:

(i) स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों और नियमित कक्षाओं के लिए 30 सितंबर, 2020 तक बंद रहेंगे। हालांकि निम्नलिखित की अनुमति होगी-

- ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में 50 फीसदी अध्यापकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन पढ़ाने/टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए विद्यालय आने की अनुमति दे सकते हैं। यह 21 सितंबर, 2020 से प्रभावी होगा, जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा जारी की जाएगी।
- कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने स्कूल जाने की इजाजत दी जा सकती है। इसके लिए अध्यापक उनका मार्गनिर्देशन कर सकते हैं। यह छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति पर होगा और 21 सितंबर 2020 से प्रभावी होगा , जिसके लिए एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार के दूसरे मंत्रालयों या राज्य सरकारों के पास पंजीकृत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों , औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी।
  राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यापार विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) , राष्ट्रीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति होगी। ये 21 सितंबर 2020 से प्रभावी होगा जिसके लिए एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल रिसर्च स्कॉलरों (पीएचडी), तकनीकी और पेशेवर कोर्स के परास्नातक विद्यार्थियों जिन्हें प्रयोगशाला/प्रयोगात्मक कार्यों के लिए जरूरत हो , उन्हें हालात के आकलन और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में कोविड- 19 के असर को

ध्यान में रखते हुए एमएचए से परामर्श के बाद उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) द्वारा अनुमति दी जाएगी।

(ii) गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए)/रेल मंत्रालय (एमओआर) द्वारा श्रेणीबद्ध तरीके से 7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल के संचालन की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में एमओएचयूए की ओर से एसओपी जारी की जाएगी।

(iii) सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य जनसमूह में 100 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति 21 सितंबर 2020 से दी जाएगी। इस दौरान चेहरे पर मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।

हालांकि शादी से संबंधित लोगों के इकट्ठा होने पर मौजूदा 50 की सीमा और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की सीमा 20 सितंबर 2020 तक जारी रहेगी। इसके बाद 100 लोगों तक शामिल होने वाला नियम लागू होगा।

(iv) सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और ऐसे अन्य स्थल बंद रहेंगे। हालांकि ओपन एयर थिएटर के लिए 21 सितंबर 2020 से अनुमति दे दी जाएगी।

(v) गृह मंत्रालय की ओर से दी गई अनुमति को छोड़कर अन्य अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं स्थगित रहेंगी।

2- कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश

संलग्नक 1 में बताए गए कोविड-19 प्रबंधन के राष्ट्रीय दिशा-निर्देश पूरे देश में जारी रहेंगे।

3- लॉकडाउन कंटेनमेंट जोनों तक सीमित

(i) कंटेनमेंट जोनों में लॉकडाउन 30 सितंबर 2020 तक प्रभावी रहेगा।

(ii) संक्रमण की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने के लिए एमओएचएफडब्ल्यू के दिशा -निर्देशों के तहत कंटेनमेंट जोन का सीमांकन जिले के अधिकारियों द्वारा सूक्ष्म स्तर पर किया जाएगा। इन कंटेनमेंट जोनों में सख्त कंटेनमेंट उपाय किए जाएंगे और केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। इस क्षेत्र में नियम सख्त रखे जाएंगे जिससे लोगों की अंदर या बाहर आवाजाही न हो, यह सुनिश्चित किया जा सके। मेडिकल आपात स्थिति और आवश्यक सामानों और सेवाओं की आपूर्ति को कायम रखने के लिए इसमें छूट मिलेगी। कंटेनमेंट जोनों में सघन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग , घर-घर निगरानी और जरूरत पड़ने पर अन्य

क्लीनिकल उपाय किए जाएंगे। उपरोक्त उद्देश्य के लिए एमओएचएफडब्ल्यू के दिशा -निर्देश प्रभावी ढंग से लागू किए जाएंगे।

(iii) इन कंटेनमेंट जोनों के बारे में संबंधित जिलाधिकारियों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के द्वारा वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी और सूचना एमओएचएफडब्ल्यू के साथ साझा की जाएगी।

4. राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के साथ परामर्श किए बगैर कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई भी स्थानीय लॉकडाउन (राज्य/जिला/सब-डिविजन/शहर के स्तर पर) लागू नहीं कर सकेंगी।

5. राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं

राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों की आवाजाही या सामानों को ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसमें पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत जमीनी-सीमा पार कारोबार भी शामिल है। इस तरह की आवाजाही के लिए कोई अलग अनुमति/मंजूरी/ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।

6. एसओपी के तहत लोगों की आवाजाही

यात्री ट्रेनों से आवाजाही , घरेलू यात्रियों की हवाई यात्रा , वंदे भारत और एयर ट्रांसपोर्ट बबल फ्लाइटों से लोगों की आवाजाही , भारतीय नाविकों का आना-जाना एसओपी के तहत जारी रहेगा।

7. जोखिम वाले लोगों की सुरक्षा

65 साल की उम्र से अधिक, पहले से गंभीर रूप से बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है जब तक कि बहुत जरूरी या स्वास्थ्य संबंधी जरूरत न हो।

8. आरोग्य सेतु का प्रयोग

(i) आरोग्य सेतु ऐप संभावित संक्रमण की पहले ही पहचान करने में मदद करता है और इस प्रकार से लोगों और समुदाय के लिए यह एक कवच की तरह काम करता है।

(ii) कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कर्मचारी अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य इंस्टाल किए रहें।

(iii) जिला प्रशासन लोगों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इंस्टाल करने और नियमित तौर पर स्वास्थ्य की जानकारी ऐप पर अपडेट करते रहने की सलाह दे सकता है। इससे उस व्यक्ति पर समय रहते चिकित्सकीय रूप से ध्यान दिया जा सकेगा, जो खतरे में है।

9. दिशा-निर्देश का सख्त पालन

(i) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारें किसी भी तरह से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी दिशा-निर्देशों में बदलाव या उसे कमजोर नहीं कर सकती हैं।

(ii) सामाजिक दूरी कायम रखने के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973 के तहत धारा 144 का इस्तेमाल कर सकती हैं।

(iii) सभी जिलाधिकारी उपरोक्त उपायों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

10. दंड का प्रावधान

इन उपायों का उल्लंघन करने वाले शख्स के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई और अन्य कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। दंड के प्रावधानों की जानकारी संलग्नक 2 में दी गई है।

केंद्रीय गृह सचिव

और चेयरमैन, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति

अनुलग्नक-I

कोविड -19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश

1. चेहरा ढंकना: सार्वजनिक स्थानों में; कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य है।

2. एक-दूसरे से दूरी बनाये रखना: सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को न्यूनतम 6 फीट (2 गज की दूरी) की दूरी अवश्य बनाए रखनी चाहिए।

दुकानें ग्राहकों के बीच एक-दूसरे से दूरी बनाये रखना सुनिश्चित करेंगी।

3. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अर्थदंड के साथ दंडनीय होगा, अर्थदंड राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश के स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अपने कानूनों, नियमों या विनियमों के अनुसार प्रस्तावित किया जा सकता है।

कार्यस्थलों के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश

4. घर से काम करना (डब्यू िरएफएच):जहां तक संभव हो डब्ल्यूएफएच का अनुपालन किया जाना चाहिए।

5. कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों तथा औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में **कार्य/व्यवसाय के तय किये गए घंटों का अनुपालन किया जाएगा**।

6. स्क्रीनिंग और स्वच्छता: सभी प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग , हैंड वाश या सैनिटाइज़र की व्यवस्था तथा निकास द्वारों और आम क्षेत्रों में हैंड वाश या सैनिटाइज़र का प्रावधान।

7. पूरे कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं जैसे दरवाजे के हैंडल आदि को बार-बार व पालियों के बीच में **सैनिटाइज़ करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए**।

8. एक-दूसरे से दूरी बनाये रखना: कार्यस्थलों के सभी प्रभारी श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी , पालियों के बीच पर्याप्त अंतराल, लंच ब्रेक में अंतर आदि सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक 2

लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के लिए अपराध एवं दंड

क. आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 2005

51. बाधा डालने आदि के लिए दंड - कोई भी, बिना उचित कारण के -

क. केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी कर्मचारी या अधिकारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा इस अधिनियम के तहत जिला प्राधिकारी के अपने कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालता हो, अथवा

ख. इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा राष्ट्रीय कार्यकारी समिति अथवा राज्य कार्यकारी समिति अथवा जिला प्राधिकारी की ओर से दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने से इनकार करता है तो दोष सिद्ध होने पर उसे जुर्माना अथवा एक साल तक की कारावास अथवा दोनों की सजा हो सकती है। यदि इस तरह की बाधा डालने अथवा इनकार करने से किसी की मृत्यु होती है या जीवन के लिए खतरा पैदा होता है तो दोष सिद्ध होने पर उसे कारावास की सजा को दो साल के लिए बढाई जा सकती है।

.52झूठे दावे के लिए सजायदि कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठे दावे करता अथवा इसके लिए - पर्याप्त कारण दिखता कि वह आपदा प्रभावित होने का झूठा दावा करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण के किसी अधिकारी अथवा जिला प्राधिकारी से किसी तरह की राहत, सहायता, मरम्मत, पुनर्निर्माण या अन्य लाभ प्राप्त करता है तो दोषी पाए जाने पर उसे जुर्माने के साथ दो साल तक कारावास की सजा हो सकती है।

.53धन अथवा सामग्री के दुरुपयोग आदि के लिए सजा यदि किसी गंभीर आपदा की स्थिति - में राहत प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति को कोई रकम अथवा सामग्री सौंपी जाती है अथवा उसकी निगरानी या प्रभुत्व में रखी जाती है लेकिन वह उस रकम या सामग्री के किसी भी हिस्से का स्वयं इस्तेमाल कर लेता है अथवा जानबूझ कर किसी अन्य व्यक्ति को देता है तो दोष सिद्ध होने पर उसे जुर्माने के साथ दो साल तक कारावास की सजा हो सकती है।

.54झूठी चेतावनी के लिए सजा यदि कोई व्यक्ति किसी आपदा अथवा उसकी गंभीरता - अथवा उसके परिमाण के संबंध में कोई झूठी चेतावनी को प्रसारित करता है जिससे लोगों के बीच घबराहट पैदा होती है तो दोष सिद्ध होने पर उसे जुर्माने के साथ एक साल तक कारावास की सजा हो सकती है।

.55सरकारी विभागों द्वारा अपराधयदि इस अधिनियम के तहत किसी सरकारी विभाग (1) - द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो विभाग के प्रमुख को अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उन्हें उचित दंड दिया जाएगा बशर्ते वह साबित नहीं करता कि अपराध उसके संज्ञान के बिना किया गया थाअथवा उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए जांच-परख की सभी प्रक्रिया पूरी की थी।

उप-धारा (1) में निहित बातों के अलावा यदि सरकार के किसी विभाग द्वारा इस (2) अधिनियम के तहत अपराध किया गया है और यह साबित हो गया है कि अपराध सहमति या सहमति के साथ किया गया हैकिसी अधिकारी की उपेक्षा के कारण ऐसा हुआ है तो विभाग के प्रमुख के अलावा उस अधिकारी को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

.56ड्यूटी में अधिकारी की विफलता अथवा उसकी मिलीभगत इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन यदि किसी अधिकारी को इस अधिनियम के तहत कोई ड्यूटी दी जाती है - लेकिन वह अपने वरिष्ठ अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना अथवा कोई उपयुक्त कानूनी कारण के बिना उसे पूरा करने अथवा कार्यालय में अपने कर्तव्यों निर्वहन से इनकार करता है तो उसे जुर्माने के साथ एक साल तक कारावास की सजा हो सकती है।

.57आवश्यकता के संबंध में किसी भी आदेश के उल्लंघन के लिए जुर्माना यदि कोई - व्यक्ति धारा 65 के तहत जारी किए गए किसी भी आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे एक वर्ष के लिए कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों के साथ दंडित कियाा जा सकता है।

.58कंपनियों द्वारा अपराध यदि किसी कंपनी या निगमित निकाय इस अधिनियम के (1) - तहत अपराध किया जाता है तो अपराध के समय मौजूद सभी व्यक्तियों को कानून के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा जिसमें अपराध करने वाले व्यक्ति के अलावा, उसका प्रभारी और कंपनी

की ओर से उस काम के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी शामिल होंगे। ऐसे में दोष सिद्ध होने पर उचित कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा:

यदि कोई भी यह साबित करता कि अपराध उसके संज्ञान के बिना किया गया था अथवा उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए जांच-परख की सभी प्रक्रिया पूरी की थी तो वह व्यक्ति कानून की इस उपधारा में वर्णित किसी भी सजा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

उप-धारा (1) में निहित कुछ के बावजूद (2), जहां इस अधिनियम के तहत एक कंपनी द्वारा अपराध किया गया है, और यह साबित हो जाता है कि अपराध सहमति या सहमति के साथ किया गया था या उस पर किसी भी नज़रिए के लिए जिम्मेदार है किसी भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारी का हिस्सा, ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण -इस धारा के प्रयोजन के लिए -

क). ('कंपनी' का अर्थ किसी भी कॉर्पोरेट से है और उसमें कोई फर्म अथवा संबद्ध व्यक्ति शामिल हैं।

ख).) 'निदेशक' एक फर्म के संबंध में और इसका मतलब फर्म के एक भागीदार से है।

59. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी - धारा 55 और 56 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए कोई अभियोग नहीं लगाया जाएगा, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी अपवाद होगी, क्योंकि इसमें मामला, या कोई ऐसा अधिकारी हो सकता है जिसे ऐसी किसी सरकार द्वारा, आम या विशेष आदेश द्वारा, अपने स्थान पर अधिकृत किया गया हो।

60. अपराधों का संज्ञान - कोईभी अदालत इस कानून के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, जब तक कि इनमें से किसी के द्वारा कोई शिकायत की गई हो -
(क) किसी राष्ट्रीय प्राधिकारी, राज्य प्राधिकारी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ज़िला प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, या इस संबंध में किसी प्राधिकारी या सरकार द्वारा किसी अधिकारी को अधिकृत किया गया हो, क्योंकि इसमें ऐसा मामला हो सकता है, या

(ख) कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने बताए गए तरीके से कम से कम 30 दिनों का नोटिस उस कथित अपराध के संबंध में दिया हो और उसका इरादा किसी राष्ट्रीय प्राधिकारी, राज्य प्राधिकारी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकृत अधिकारी के पास शिकायत करने का हो, जैसा कि पूर्वोक्त है।

(B.) भारतीय दंड संहिता, 1860 में धारा 188

188. लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा -
जो भी कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से, जिसे प्रख्यापित करने के लिए लोक सेवक विधिपूर्वक सशक्त है, कोई कार्य करने से बचे रहने के लिए या अपने कब्जे या प्रबन्धाधीन, किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे निर्देश की अवज्ञा करेगा; अगर ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियुक्त किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति, अथवा बाधा, क्षोभ या क्षति का जोखिम कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए सादे कारावास की सजा जिसे एक मास तक बढ़ाया जा सकता है, या दौ सौ रुपए तक के आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा; और अगर ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, या उपद्रव या दंगा कारित करती हो, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे छह मास तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपए तक के आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय क्षति उत्पन्न करने का हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसके अवज्ञा करने से क्षति होना संभाव्य है। यह पर्याप्त है कि जिस आदेश की वह अवज्ञा करता है, उस आदेश का उसे ज्ञान है, और यह भी ज्ञान है कि उसके अवज्ञा करने से क्षति उत्पन्न होती या होनी संभाव्य है।
उदाहरण - अगर एक लोक सेवक द्वारा यह आदेश दिया गया है, जो कि ऐसा आदेश देने के लिए विधिवत रूप से सशक्त है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि एक धार्मिक जुलूस एक निश्चित सड़क से नहीं गुजरेगा. ऐसे में व्यक्ति ए जानबूझकर आदेश की अवज्ञा करता है, और जिससे दंगे का खतरा पैदा करता है। तो ए ने ऐसा अपराध किया है जो इस धारा में परिभाषित है।